हिमाचल प्रदेश सरकार
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

संख्याः एल.सी.डी.–ए (7)–2/2014 दिनांक : शिमला 23 जुलाई, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की संशोधित पूजा अर्चना एवं रख– रखाव मन्दिर अनुदान योजना अनुबंध 'क' को अधिसूचित करने हेतु सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या एल0सी0डी0–ए (7)–2 /2014 दिनांक 29 अगस्त, 2014 को निरस्त किया जाता है ।

आदेश द्वारा

(उपमा चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा–संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः एल0सी0डी0–ए (7)–2 /2014 दिनांकः शिमला 23 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः–

1. सचिव, विधान सभा, सचिवालय, हिमाचल प्रदेश , शिमला–04
2. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, शिमला–02
4. प्रधान निजी सचिव , मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश , शिमला–02
5. सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02
6. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
8. प्रधान लेखाकार (लेखा व परीक्षा), हि0 प्र0, शिमला–03
9. अवर सचिव (वित्त विनियम) हि0 प्र0 सरकार, शिमला–02
10. निदेशक , भाषा, कला और संस्कृति , हिमाचल प्रदेश, शिमला –09 को उनके पत्र संख्याः भासनि 14/2014–मन्दिर –आवर्ती निधि– 8886 दिनांक 19.06.2015 के संदर्भ में।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला–05 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त जिला भाषा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
13. संरक्षण नस्ति ।

विशेष सचिव (भाषा–संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार

अनुबन्ध ''क''

पूजा–अर्चना एवं रख–रखाव मन्दिर अनुदान योजना

भूमिका :

हिमाचल प्रदेश में मन्दिरों की एक समृद्ध विरासत है। प्रदेश सरकार इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध हैं। विगत में प्रदेश के बहुत से मन्दिरों की अपनी भू–सम्पदा थी, जिससे प्राप्त आय का उपयोग मन्दिरों के रख–रखाव व दैनिक पूजा–अर्चना इत्यादि के लिए किया जाता था। भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन के कारण बहुत से मन्दिरों की भू–सम्पदा मुजारों/सरकार में निहित होने के फलस्वरूप उनकी आय में भारी कमी आ गई है जिस कारण मन्दिरों का रख–रखाव यहां तक की नियमित पूजा अर्चना भी वर्तमान में ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। ऐसे समस्त मन्दिरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने वर्ष 2014–15 के बजट अभिभाषण में ₹ 5.00 करोड़ की राशि की आवर्ती निधि (Revolving Fund) सृजित करने की घोषणा की है। तदानुसार आवर्ती निधि (Revolving Fund) की राशि का विभागीय बजट में प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य :

स्थापित आवर्ती निधि (Revolving Fund) की धन राशि को उन मन्दिरों के रख–रखाव व विधिवत पूजा अर्चना पर आने वाले व्यय की पूर्ति हेतु अनुदान राशि के रूप में दिया जाएगा, जिनकी ज़मीनें विभिन्न भू–सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत मुजारों/सरकार में निहित हुई हैं।

आवर्ती निधि (Revolving Fund) का संचालन :

आवर्ती निधि (Revolving Fund) की राशि को निदेशक, भाषा एवं संस्कृति सबसे अधिक ब्याज देने वाले राष्ट्रीय/राज्य बैंक में विभिन्न अवधि की सावधि जमा (Fixed Deposit) खाता योजना में जमा करवाएंगे तथा प्राप्त ब्याज की राशि का व्यय भी इसी परियोजना पर किया जाएगा इस प्रकार कुल प्राप्त राशि से इस योजना में आने वाले मन्दिरों को पूजा अर्चना व रख–रखाव के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। सावधि व बचत खातों का संचालन निदेशक, भाषा एवं संस्कृति द्वारा किया जाएगा।

पात्रता :

स्थापित आवर्ती निधि (Revolving Fund) से अनुदान राशि उन मंदिरों को दी जाएगी जिनकी भूमि विभिन्न भू–सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत मुजारों/सरकार में निहित हुई है। ऐसे मन्दिर मन्दिर समितियों/कारदारों के माध्यम से अनुदान हेतु आवेदन करेंगे। वे मंदिर जिनकी भूमि किसी भी भूमि सुधार अधिनियम यानि हिमाचल प्रदेश बडी जमीनदारी उन्मूलन एवं भू–सुधार अधिनियम, 1953, हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू–सुधार अधिनिमय, 1972 तथा हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 इत्यादि के अन्तर्गत सरकार या मुजारों में निहित नहीं हुई है, को भी विशेष परिस्थितियों में अनुदान देने के लिए विचारा जा सकता है। प्राथमिकता उन मन्दिरों को दी जायेगी जिनकी भूमि भू–सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत निहित हुई है। विशेष परिस्थितियों में अनुदान निम्न शर्तों के अधीन देय होगा :–

1. विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत उन्ही मन्दिरों के प्रकरणों पर अनुदान के लिए विचार किया जाएगा जिनके विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को (छाया चित्रों के आधार पर) सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी तथा विभागीय पुरातत्व शाखा प्रमाणित करेगी।
2. प्रार्थी / आवेदक मन्दिरों को विभाग की किसी अन्य परियोजना में सहायतानुदान देय नहीं होगा।
3. प्रत्येक प्रकरण का आंक्कलन/निर्धारण आवेदक मन्दिर की वित्तीय स्थिति के अनुरूप पूजा–अर्चना योजना के लिए निदेशक (भाषा–संस्कृति) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्रता/योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम की अनुसूची–1 में शामिल मन्दिर अनुदान के पात्र नहीं होंगे। निजी स्वामित्व वाले मन्दिर अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

प्रक्रिया :

प्रार्थी मंदिर अपने अध्यक्ष/क़ारदार मन्दिर कमेटी के माध्यम से प्रकरण निर्धारित प्रपत्र पर दस्तावेज़ सहित सम्बन्धित ज़िला भाषा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्रपत्र के साथ प्रार्थी मन्दिर को जमाबन्दी की प्रति, भूमि का रिकॉर्ड (प्रपत्र–क), आय–व्यय सम्बन्धी विवरण (प्रपत्र–ख) तथा विगत में दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र–ग) संलग्न करना आवश्यक होगा। मन्दिरों से मुजारों/सरकार में निहित की गई भूमि की सूचना (प्रपत्र–क) पर देनी होगी। जिसे पटवारी (हलका) द्वारा भरवाकर

सम्बन्धित नायब तहसीलदार/तहसीलदार से सत्यापित करवाना होगा। आवेदक/संस्था को आय–व्यय की सूचना/विवरण विस्तार से आवेदन पत्र में देनी होगी तथा इस सूचना/विवरण को मन्दिर समिति/आवेदक अपनी मोहर सहित प्रमाणित करेंगे। प्रार्थी मन्दिर अपनी आय व व्यय का विवरण भी पटवारी (हलका) को प्रस्तुत करेगा। पटवारी विवरण जांचने के उपरान्त प्रमाणिकता रिपोर्ट (प्रपत्र–ख) पर देगा। जिसे सम्बन्धित नायब तहसीलदार/तहसीलदार से सत्यापित करवाना होगा। विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत आवेदक/संस्थाओं को मन्दिर के चारों कोनों के कम से कम चार छाया चित्र आवेदन के साथ अलग से संलग्न करने होंगे।

प्राप्त प्रकरणों को ज़िला भाषा अधिकारी विभागीय योजना के अनुसार जांच पड़ताल कर अपनी संस्तुति के साथ नियमित रूप से प्रकरण निदेशालय को भेजेंगे। निदेशालय में प्राप्त प्रकरण की अनुदान राशि की संस्तुति हेतु निम्नलिखित कमेटी गठित होगी :–

1.	निदेशक, (भाषा एवं संस्कृति)	अध्यक्ष
2.	संग्राहलय अध्यक्ष, हिमाचल राज्य संग्राहलय, शिमला	सदस्य
3.	पुरातत्व अभियन्ता, (भाषा एवं संस्कृति)	सदस्य
4.	अधीक्षक दर्जा–I/II, (भाषा एवं संस्कृति)	सदस्य
5.	सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी	सदस्य
6.	अतिरिक्त सहायक अभियन्ता (निदेशालय)	सदस्य सचिव

उपरोक्त कमेटी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में प्राप्त प्रकरणों की जांच कर अनुदान राशि की संस्तुति करेगी। निदेशक, भाषा एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश कमेटी द्वारा संस्तुत राशि के आधार पर अनुदान राशि को स्वीकृत करने में सक्षम होंगे।

अनुदान राशि निर्धारण :

अनुदान राशि का निर्धारण मन्दिर की शुद्ध वार्षिक आय (समस्त आय में से समस्त व्यय को घटा कर) के अनुपात (ऋणात्मक / कम शुद्ध आय वाले मन्दिर को ज्यादा अनुदान राशि व ज्यादा शुद्ध आय वाले मन्दिर को कम अनुदान राशि) के अनुसार होगा। शुद्ध वार्षिक आय में मन्दिर की समस्त आय से अभिप्राय मन्दिर के सभी चल–अचल स्त्रोतों से प्राप्त आय से होगा जिसमें की मन्दिर का नगद चढ़ावा, मन्दिर की बची हुई भूमि से किसी भी रूप में प्राप्त आय तथा मन्दिर के समस्त व्यय से अभिप्राय मन्दिर का पूजा तथा रख–रखाव में हुए व्यय से होगा।

अनुदान राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा :–

क्र० सं०	शुद्ध वार्षिक आय	श्रेणी	अनुदान राशि
1	ऋणात्मक आय	क	25,000/–
2	0 से 10,000 तक	ख	22,000/–
3	10,001 से 20,000	ग	20,000/–
4	20,001 से 30,000	घ	15,000/–
5	30,001 से उपर	ड़	10,000/–

प्रत्येक वर्ष मन्दिर प्रबन्धन को नए रूप से प्रकरण प्रस्तुत करना होगा व इसके साथ–साथ पिछले वर्ष जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र के बिना प्रस्तुत प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रयोजन :

पात्र मंदिरों को अनुदान राशि पूजा अर्चना एवं रख–रखाव के लिए ही दी जाएगी। मंदिरों की प्रथानुसार पूजा–अर्चना सामग्री के क्रय हेतु अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मन्दिर के रख–रखाव के लिए भी अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकेगा। रख–रखाव में मन्दिर की साफ सफाई, बिजली/पानी की व्यवस्था, छुट–पुट मुरम्मत, इत्यादि सम्मिलित होंगे। मन्दिर अथवा परिसर में बडी मुरम्मत अथवा किसी भी तरह का सरंचनात्मक फेरबदल व पुनर्निर्माण कार्य, रख–रखाव में सम्मिलित नहीं होगा। अनुदान राशि का उपयोग किसी भी कर्मचारी की नव नियुक्ति या वर्तमान में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन/भत्तों की अदायगी के लिए नहीं किया जाएगा।

अवधि :

मन्दिरों की पूजा अर्चना एवं रख–रखाव के लिए अनुदान राशि का प्रावधान वर्ष में केवल एक बार ही देय होगा। प्रति वर्ष प्रत्येक मन्दिर को अनुदान हेतु प्रकरण विभाग को भिजवाना होगा।

उपयोगिता प्रमाण पत्र :

अनुदान ग्राही मन्दिर को प्रत्येक प्रदत्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र–ग) सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी से सत्यापित करवाकर देना होगा। अगले वर्ष की अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु प्रकरण के साथ पिछले वर्ष जारी की गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मन्दिर समिति को अपना पूरा आय व व्यय विवरण का रजिस्टर बनाना होगा, जिसका निरीक्षण/सत्यापन सम्बन्धित जिला के जिला भाषा अधिकारी/प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

आवेदन हेतु प्रपत्र

1. मन्दिर का नामः .....

2. गांव ..... डाकघर ..... तहसील.....

   जिला..... हिमाचल प्रदेश, पिन कोड .....

3. स्थापित मूर्तिः .....
   (किस अराध्य देवी–देवता की पूजा की जाती है)
4. मन्दिर की प्रबन्धक समिति के मुखिया का नामः .....

5. मन्दिर प्रबन्धन

   (i) समिति का नाम .....

   (ii) पारम्परिक/वर्तमान .....

6. क्या मन्दिर कमेटी सहकारी सभायें पंजीकरण अधिनियम, 1860 एवं 2005 के अधीन पंजीकृत हैः यदि हां तो पंजीकरण संख्याः एवं प्रति व कमेटी का संविधान संलग्न करें : हां/नहीं, पंजीकरण संख्याः .....

7. भूमि सुधार अधिनियम (वर्ष .....) के लागू होने से पूर्व कुल कितनी भूमि थी।

8. भूमि सुधार अधिनियम (वर्ष .....) लागू होने पर मन्दिर की कितनी भूमि मुजारों/सरकार को हस्तांतरित/निहित की गई थी।

9. वर्तमान में मन्दिर के पास कितनी भूमि बकाया है (जमाबन्दी सहित ब्यौरा दें): (उपरोक्त क्रम संख्याः 7 व 8 के लिए जमाबन्दी सहित या जमाबन्दी न होने की स्थिति में राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रपत्र–''क'' पर भूमि का सत्यापित विवरण प्रस्तुत करें।)

10. मन्दिर की कुल सम्पति (चल एवं अचल सम्पति) .....
11. मन्दिर की वार्षिक आय (पूर्ण विवरण सहित) :–

    1. वार्षिक नकद चढ़ावाः रुपये .....

2. बची हुई भूमि तथा अन्य सभी स्त्रोत्रों / सम्पति से प्राप्त वार्षिक आय का पूर्ण विवरणः रुपये .....

3. कुल वार्षिक आय (मद–1 व 2 का योग): रुपये .....

12. मन्दिर का वार्षिक खर्च (पूर्ण विवरण सहित) रुपये .....

13. मन्दिर की वार्षिक शुद्ध आय (12 व 13 का अन्तर): रुपये .....

14. मन्दिर का इतिहास एवं महत्व : (अलग से संलग्न करें) .....

15. मन्दिर से सम्बन्धित कोई अन्य सूचना : (अलग से संलग्न करें) .....

16. पूर्व प्रदत्त अनुदान राशि का जिला भाषा अधिकारी द्वारा सत्यापित उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न हैः हां/नहीं

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि प्रपत्र में दी गई उपरोक्त सूचना मेरे ज्ञान अनुसार सही है।

स्थानः ..... हस्ताक्षरः .....

तिथिः ..... पदनामः .....

पुरा पताः .....

दूरभाष (कोड सहित) ..... मोबाईल नम्बर .....

जिला भाषा अधिकारी की सिफारिश

मैं ..... जिला भाषा अधिकारी, जिला..... प्रमाणित करता हूं की उपरोक्त प्रकरण विभागीय योजना के अनुसार सही पाया गया है। अतः मै प्रकरण निरीक्षणोपरान्त अनुदान राशि जारी करने कर संस्तुति करता हूं।

जिला भाषा अधिकारी
हस्ताक्षर सहित

प्रपत्र–क

1. हिमाचल प्रदेश बडी जमीनदारी उन्मूलन एवं भू–सुधार अधिनियम, 1953

(क) मन्दिर के पास उक्त अधिनियम (वर्ष .....)

के लागू होने से पूर्व भूमिः– .....

(ख) मन्दिर की पास उक्त अधिनियम (वर्ष .....) में मुजारों/सरकार में निहित की गई भूमिः– .....

(ग) उक्त अधिनियम (वर्ष .....) के कार्यान्वयन के उपरान्त मन्दिर के पास बची हुई भूमिः– .....

2. हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू–सुधार अधिनियम, 1972

(क) मन्दिर के पास उक्त अधिनियम (वर्ष .....) के लागू होने से पूर्व भूमिः– .....

(ख) मन्दिर के पास उक्त अधिनियम (वर्ष .....) में मुजारों/सरकार में निहित की गई भूमि :– .....

(ग) उक्त अधिनियम (वर्ष .....) के कार्यान्वयन के उपरान्त मन्दिर के पास बची हुई भूमि :– .....

3. हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972

(क) मन्दिर के पास उक्त अधिनियम (वर्ष .....) के लागू होने से पर्वू भूमि :– .....

(ख) मन्दिर के पास उक्त अधिनियम (वर्ष .....) में मुजारों/सरकार में निहित की गई भूमि :– .....

(ग) उक्त अधिनियम (वर्ष .....) के कार्यान्वयन के उपरान्त मन्दिर के पास बची हुई भूमिः– .....

हल्का पटवारी
हस्ताक्षर एवं मोहर सहित

मैं ..... तहसीलदार ..... तहसील .... जिला ..... हिमाचल प्रदेश सत्यापित करता हूं की सम्बन्धित मन्दिर का हल्का पटवारी द्वारा दिया गया राजस्व विवरण व दस्तावेज सही है।

तहसीलदार
हस्ताक्षर एवं मोहर सहित

<u>प्रपत्र–ख</u>

मैं ..... पटवारी (हल्का) ..... तहसील .... जिला ..... हिमाचल प्रदेश प्रमाणित करता हूं की सम्बन्धित मन्दिर का मन्दिर कमेटी द्वारा दिया गया वार्षिक आय–व्यय सम्बन्धी विवरण सही है

हल्का पटवारी
हस्ताक्षर एवं मोहर सहित

मैं ..... तहसीलदार (हल्का) ..... तहसील ..... जिला ..... हिमाचल प्रदेश सत्यापित करता हूं की सम्बन्धित मन्दिर का हल्का पटवारी द्वारा दिया गया वार्षिक आय–व्यय सम्बन्धी विवरण सही है

तहसीलदार
हस्ताक्षर एवं मोहर सहित

प्रपत्र–ग

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मन्दिर ..... गांव .... तहसील ..... जिला ..... के लिए स्वीकृत अनुदान राशि ..... वर्ष ..... के दौरान अनुदान के रूप में विभाग के पत्र संख्याः .....दिनांक .... के अधीन मन्दिर के .....प्रयोजन के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी।

स्थानः ..... हस्ताक्षरः .....

तिथिः ..... पदनामः .....

पूरा पताः .....

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे सन्तुष्ट हूं कि जिन कार्यों के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी पूर्ण कर ली गई हैं तथा मैने यह देखा है कि धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए स्वीकृत किया गया था।

स्थानः
दिनांकः

जिला भाषा अधिकारी
जिला .....
भाषा एवं संस्कृति विभाग
हिमाचल प्रदेश।